प्रेस नोट
दिनांक 15.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना को0 नगर में की गयी पीस कमेटी की बैठक, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 15.07.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मुहर्रम त्योहार के दृष्टिगत निकलने वाले जुलूसों को शांति पूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने एवं जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखने हेतु थाना को0 नगर में पीस कमेटी की बैठक की गयी। मीटिंग में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के साथ–साथ सभी वर्गो के सभ्रांत व्यक्ति व धर्मगुरु सम्मिलित हुए। इस दौरान त्यौहार की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई व संभ्रांत व्यक्तियों/धर्म गुरुओं से सुझाव भी लिए गए एवं अमल में लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। त्यौहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया गया। सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि मोहर्रम के जुलूस निर्धारित मार्ग से ही निकाले जायेंगे। जुलूस के दौरान संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए वीडियोंग्राफी की जा रही है। बिजली विभाग से समन्वय स्थापित कर जुलूस के रास्तों में झूले हुए तारों को दुरूस्त कराया गया है तथा जुलूस निकलने से पहले जुलूस मार्ग की बिजली को भी कटवायी जा रही है। जुलूस के दौरान किसी तरह के हथियारों का प्रदर्शन नही किया जायेगा। मोहर्रम पर्व/जुलूस में असामाजिक तत्वों पर खास नजर बनाकर रखी जा रही है अगर किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा त्योहार में माहौल खराब करने का प्रयास किया जायेगा तो उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। मोर्हरम त्योहार के दृष्टिगत सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए है पुलिस लोगों की सुरक्षा हेतु सजग एवं कटिबद्ध है, त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाए। महोदय द्वारा बताया गया कि अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, सिटी मजिस्ट्रेट श्री विजय शर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ कुमार वर्मा, निरीक्षक प्रज्ञान व प्र0नि0 को0 नगर सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 15.07.2024, मॉनिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोपी अभियुक्ता को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 22,000/- के अर्थदण्ड की सजा--

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 22,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस ने हत्या करने के आरोप में आरोपी अभियुक्ता- 01. नज्जो पत्नी रवि अहमद निवासी ग्राम गौरवाखुर्द साई तकिया थाना करनलैगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर महिला हे0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवाली कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दिनबन्धु दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्ता को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा श्री सूर्यप्रकाश सिंह द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व रू 22,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्ता का नाम पता-

01. नज्जो पत्नी रवि अहमद निवासी ग्राम गौरवाखुर्द साई तकिया थाना करनलैगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-120/2022, धारा 302, 201 भादवि थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.07.2024, थाना खोड़ारे
जनपद गोण्डा।

थाना खोडारे पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल व 01 अदद अवैध चाकू बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोडारे पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त 01. बाबू निषाद पुत्र जयराम निषाद निवासी ग्राम करमदाड़े थाना हरैया जनपद बस्ती को हनुमान नगर तिराहा के आगे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 02 अदद मोबाइल फोन रेडमी, 01 अदद पेचकश, 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री रामप्रकाश पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम बक्सरिया ग्राण्ट केवटहिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 14.07.2024 को थाना खोड़ारे पर सूचना दिये उसका मोबाइल रेड़मी व गाँव का ही रहने वाला कमलेश की मोबाइल फोन को विपक्षी बाबू द्वारा चोरी करके ले कर भाग गया, तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में मु0अ0सं0-153/2024 धारा 303(2)बीएनएस बनाम बाबू के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15.07.2024 को खोड़ारे पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त 01. बाबू निषाद पुत्र जयराम निषाद निवासी ग्राम करमदाड़े थाना हरैया जनपद बस्ती को हनुमान नगर तिराहा के आगे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 02 अदद मोबाइल फोन रेडमी, 01 अदद पेचकश, 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 317(2)बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बाबू निषाद पुत्र जयराम निषाद निवासी ग्राम करमदाड़े थाना हरैया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 153/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद मोबाइल फोन रेड़मी
02. 01 अदद पेचकश
03. 01 अदद अवैध चाकू बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा
02. का0 मिथलेश कुमार शाह

मीडिया सेल, गोण्डा।